मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 27/4/2016

क्रमांक एफ 12-15/2013/सत्रह/मेडि-3 :: दिनांक 17.03.2015 से प्रदेश के 3 जिलों भोपाल, इंदौर तथा रतलाम को छोड़ कर अन्य शेष 48 जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है ।

उक्त आदेश में बिंदु क्रमांक 5 पर उल्लेखित "डायलिसिस की सुविधा सभी श्रेणी के रोगियों के लिए निःशुल्क होगी" को शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :-

1. जिला चिकित्सालयों में समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों (बी.पी.एल.) को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जाये ।
   - 1.1 समस्त जिला चिकित्सालयों में विभाग अथवा एन.जी.ओ. रोगी कल्याण समिति (आर.के.एस.) द्वारा स्थापित मशीनों पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाये ।
   - 1.2 समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को एन.जी.ओ./आर.के.एस. से संचालित मशीनों पर दी जा रही यह सुविधा का शुल्क, प्रति रोगी प्रति डायलिसिस सत्र रू.500/- के मान से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना से वहन किया जा कर संबंधित आर.के.एस./एन.जी.ओ. को देय होगा ।

2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों के अतिरिक्त अन्य रोगियों (ए.पी.एल.) को डायलिसिस सुविधा सशुल्क प्रदाय की जाये ।
   - 2.1 समस्त जिला चिकित्सालयों में विभाग से स्थापित डायलिसिस मशीनों पर दी जा रही डायलिसिस सुविधा हेतु ए.पी.एल. रोगियों से प्रति डायलिसिस सत्र रू.500/- का शुल्क निर्धारित किया जाता है ।
   - 2.2 पूर्व में एन.जी.ओ./आर.के.एस. द्वारा जिला चिकित्सालय भोपाल, इंदौर रतलाम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, विदिशा सतना एवं पीसी सेठी चिकित्सालय, इंदौर में संचालित डायलिसिस सुविधा हेतु भी प्रति डायलिसिस सत्र रू.500/- का शुल्क निर्धारित किया जाता है ।
   - 2.3 विभागीय एवं आर.के.एस. की मशीनों से डायलिसिस से प्राप्त राशि आर.के.एस. खाते में जमा की जा सकेगी । एन.जी.ओ. द्वारा संचालित मशीनों से डायलिसिस से प्राप्त राशि संबंधित एन.जी.ओ. को देय होगी ।

(डॉ.गनी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर..2..

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-15/2013/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 27/4/2016

प्रतिलिपि :

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश (कृपया आदेश वेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें) ।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एन.एच.एम.भवन, 8 अरेरा हिल्स, भोपाल ।
4. प्रबंध निर्देशक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन लि., भोपाल ।
5. संचालक, स्वास्थ्य/चिकित्सा सेवायें/एन.एच.एम., भोपाल ।
6. अतिरिक्त संचालक, वित्त/उपार्जन संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
7. संचालक, वित्त एन.एच.एम., भोपाल ।
8. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

26/4/16

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(160)

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 12–15/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 17/03/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
25 MAR 2015
आवक क्रमांक 484

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएं,
भोपाल।

विषय : शासकीय चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने बाबत् ।

संदर्भ : विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 02.03.2013

= 0 0 =

विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 02.03.2013 द्वारा प्रदेश के 42 जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में आई.पी.एच.एस. 2012 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हीमोडायलिसिस यूनिट की स्थापना का निर्णय लिया गया था, परंतु प्रदेश के समस्त जिलों में जनसामान्य की समुचित स्वास्थ्य सुविधा तथा जिला स्तर पर नेफ्रोलॉजिस्ट एवं डायलिसिस तकनीशियन के पद तथा प्रशिक्षित अमले की कमी के कारण इस सुविधा को निम्न शर्तो के अध्याधीन लागू करने का निर्णय लिया गया है :

1. हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रदेश के तीन जिलों भोपाल, इंदौर तथा रतलाम को छोड़कर शेष अन्य 48 जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई जायेगी ।

2. इस योजना के अंतर्गत हीमोडायलिसिस मशीन तथा अन्य संबंधित उपकरणों एवं सामग्री का क्रय, विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इन मशीनों का संचालन (जन संसाधन (मेन पॉवर)) सहित मशीन प्रदायकर्ता द्वारा इस संबंध में किये अनुबंध के अनुसार किया जायेगा, जो प्रारंभ में 5 वर्ष के लिये होगा तथा बाद में निविदा शर्तों के अध्याधीन इसमें वृद्धि की जा सकेगी ।

3. मशीनों के समुचित संचालन तथा रख–रखाव के लिये मशीन प्रदायकर्ता द्वारा टेली मेडिसिन के द्वारा न्यूनतम दो नेफ्रोलॉजिस्ट की विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी । दो डायलिसिस मशीनों की क्षमता वाली 40 इकाईयों में प्रति इकाई एक डायलिसिस तकनीशियन तथा 5 डायलिसिस मशीनों की क्षमता वाली शेष 8 इकाईयों में न्यूनतम दो डायलिसिस तकनीशियन की सेवायें मशीन प्रदायकर्ता उपलब्ध करवायेगा, जो मशीनों के समुचित व निरंतर संचालन तथा रख–रखाव के लिये मशीन प्रदायकर्ता की ओर से उत्तरदायी होंगे ।

4. इन इकाईयों में डायलिसिस तकनीशियनों के अतिरिक्त अन्य मानव संसाधन तथा चिकित्सक, स्टॉफ नर्स तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबंधित चिकित्सालय के अमले से उपलब्ध कराये जायेंगे ।

5. डायलिसिस की सुविधा सभी श्रेणी के रोगियों के लिए निःशुल्क होगी । इन यूनिटों के लिये आवश्यक मशीन एवं उपकरणों पर होने वाली अनावर्ती प्रकृति का व्यय लेखा शीर्ष 19–2210–01–110–6229–0101–63–मशीनें 001–मशीनें और संयंत्र तथा सामग्री होने वाला आवर्ती व्यय 19–2210–01–110–6229–0101–34–सामग्री एवं पूर्तियाँ 009 अन्य के

(161)

अंतर्गत विकलनीय होगा तथा मशीन संचालन के लिये डायलिसिस तकनीशियन व नेफ्रोलॉजिस्ट को देय राशि का भुगतान इस संबंध में किये गये अनुबंधों की शर्तो के अध्याधीन लेखा शीर्ष 19–2210–01–196–1473–9999–31–व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ–010 अन्य मद से विकलनीय होगा ।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 704/के–980/बी–6/14, दिनांक 04.10.2014 में प्रदत्त परामर्श के अनुसार दी जा रही है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/3/15
(डॉ. गनी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12–15/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक / /2015

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय की ओर उक्त स्वीकृति के तारतम्य में सूचना हेतु प्रेषित ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. आदेश नस्ती ।

16/3/15
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग